

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
(मानित विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110 016

क्रमांक.ला.ब.शा./राज भाषा/2018-19/142

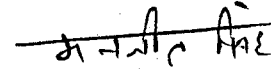
दिनांक 13.05.2019
20

कार्यालयीय -आदेश

विद्यापीठीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की संस्तुति एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :-

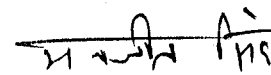
1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात जैसे सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, संसद को प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री को अनिवार्यतः हिन्दी तथा अंग्रेजी अर्थात् द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं।
2. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाए।

अतः विद्यापीठ के समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि दर्शाए गए बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। दर्शाए गए बिन्दुओं पर अनुपालन का दायित्व अनुभाग के समस्त अधिकारियों का होगा।


सहायक कुलसचिव (प्रशा0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. समस्त संकाय प्रमुख, एवं विभागाध्यक्ष
2. समस्त उपकुलसचिव/ सहायक कुलसचिव
3. समस्त अनुभाग अधिकारी
4. संगणक विभाग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना का विद्यापीठ की वेबसाइट पर अंकित करें।
5. कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता
6. महिला अध्ययन केन्द्र
7. पुस्तकालयाध्यक्ष/प्रकाशन विभाग
8. कुलपति/कुलसचिव/वित्ताधिकारी के निजी सचिव


सहायक कुलसचिव (प्रशा0)

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ
(मानित विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016

क्रमांक: ला.बं.शा./रा.भा./2018-2019/150

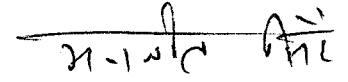
दिनांक : 14/05/2019

23

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र सं.16-1/2018 (राजभाषा) दिनांक 05/03/2019 के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति की 31वीं बैठक दिनांक 06/09/2018 में लिए गए निर्णयों पर अनुरोध किया है कि "हिन्दी शोध का माध्यम हिन्दी ही हो" पर अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करें।

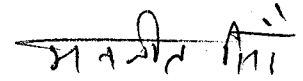
अतः विद्यापीठीय समस्त विभागों को निर्देशित किया जाता है कि पत्र में दर्शाए बिन्दु पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। दर्शाए गए बिन्दु पर अनुपालन का दायित्व अनुभाग के समस्त अधिकारियों का होगा।



सहायक कुलसचिव (प्रशा0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. समस्त संकाय प्रमुख,
2. समस्त उपकुलसचिव/ सहायक कुलसचिव
3. संगणक विभाग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना को विद्यापीठ की वेबसाइट पर अंकित करें।
4. महिला अध्ययन केन्द्र
5. शोध विभागाध्यक्ष
6. कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव



सहायक कुलसचिव (प्रशा0)